

भ्रामक खबरों से सावधान

उक्त खबर पूरी तरह भ्रामक और सत्य से परे है। माननीय उच्च न्यायालय ने न ही रिजल्ट पर कोई रोक लगाई है और न ही आयोग को कोई झटका लगा है। वास्तव में माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता की माँग के बावजूद एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रा.) प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशित करने पर किसी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया है, इसलिए यह न्यूज़ पूरी तरह भ्रामक एवं असत्य है।

हि हिन्दुस्तान

ई-पेपर

फॉलो करे

होम

राज्य

राशिफल 2025

देश

क्रिकेट

Hindi News ▶ बिहार न्यूज़ ▶ BPSC gets a jolt from the High ...

हाईकोर्ट से BPSC को झटका, फैसले तक रिजल्ट पर रोक, दो हफ्ते में जवाब मांगा, 31 जनवरी अगली डेट

बिहार लोक सेवा आयोग को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 70वीं बीपीएससी पीटी रिजल्ट पर रोक लगा दी है। आयोग को 15 दिनों में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।



@OfficialBPSC



@BPSCoffice



@bpsc_office